



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09052023-245759
CG-DL-W-09052023-245759

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 30—मई 6, 2023, शनिवार/ वैशाख 10—वैशाख 16, 1945
No. 17] NEW DELHI, APRIL 30—MAY 6, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 10—VAISAKHA 16, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (आशुलिपिक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आशुलिपिक (ग्रेड-I) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आशुलिपिक (ग्रेड-I) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.
1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Chairman;	
2. Deputy Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Member;	
3. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Member.	

[F. No. A-12018/72/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1978 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रयोगशाला परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, प्रयोगशाला परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
प्रयोगशाला परिचर	07* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन पद या अचयन पद (5)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	*आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। *(यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाता है तो, यह 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगी।) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। 3. सम्बद्ध राज्य चिकित्सा निदेशालय या तकनीकी शिक्षा से मान्यताप्राप्त चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। 4. सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p>	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. अपर निदेशक (नैदानिक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष;	
2. सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य;	
3. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य;	
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/07/2020-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R. 47.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the General Leprosy Training Research Institute, (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far it relates to the post of Laboratory Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Laboratory Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Laboratory Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant.	7* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Between 18 and 25 years of age*</p> <p>* In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.</p> <p>(Relaxable for departmental candidate upto forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-</p>	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10th class pass from a recognised board. Diploma or certificate in Medical Laboratory Technology Course. Diploma or Certificate course in Medical Laboratory Technology recognised by the concerned State Directorate of Medical or Technical Education. One year experience in the relevant field. <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable	Two years

Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.			
---	--	--	--

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government:- (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director (Clinical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman; 2. Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member;	Not applicable.

[F. No. A-12018/07/2020-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (मोची श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची श्रेणी II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, मोची श्रेणी II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
मोची श्रेणी II	01*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन पद या अचयन पद (5)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/-रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से फुटवेयर प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम;	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु

<p>(iii) संगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		<p>केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>
---	--	--

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>
(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी:</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – अध्यक्ष सहायक निदेशक(सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालय के किसी दूसरे से कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य। 	<p>आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए-12018/04/2020-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2023

G.S.R. 49.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu (Cobbler Grade-II) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cobbler Grade II in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Cobbler Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cobbler Grade II.	01* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000 - 56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) certificate course in footwear Technology from an Indian Technology Institute; and (iii) one year experience in relevant field.

<p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
<p>By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of Central Government,-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	Not applicable.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman</p> <p>2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching</p>	Not necessary.

and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
3. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
4. A Gazetted officer from the another Central Government or State Government office in the area	- Member.	

[F. No. A-12018/04/2020-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

सा.का.नि. 50.—केंद्रीय सरकार, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित, दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) नियम, 1974 के नियम 4 में, -
 - उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) एक अंशकालिक अध्यक्ष को चौरानवे हजार सात सौ रुपये प्रति माह (नियत) का पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा।"
 - उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(2) एक अंशकालिक सदस्य को आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए एक कलेंडर मास में दस दिनों की अधिकतम सीमा तक छह हजार रुपये प्रति दिन की रकम का पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा।"

[फा. सं. ए-11013/3/2021-डीडी-II]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

पाद टिप्पण:-

मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.191(अ), तारीख 27 अप्रैल, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे,-

- जीएसआर 1251, दिनांक 14 नवंबर, 1974
- जीएसआर 925, दिनांक 3 जुलाई, 1975
- जीएसआर 614, दिनांक 2 अप्रैल, 1979
- जीएसआर 814, दिनांक 10 सितंबर, 1982
- जीएसआर 41, दिनांक 9 नवंबर, 1984
- जीएसआर 265, दिनांक 14 मार्च, 1989
- जीएसआर 563, दिनांक 26 अक्टूबर, 1993
- जीएसआर 24, दिनांक 27 जनवरी, 1998
- जीएसआर 66, दिनांक 13 फरवरी, 2004
- जीएसआर 277, दिनांक 29 जुलाई, 2005
- जीएसआर 137, दिनांक 16 सितंबर, 2009
- जीएसआर 44, दिनांक 12 जनवरी, 2011